

नगर पालिका, कुम्हेर

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/KUMHER/FIRENOC/2025-26/52533
जारी दिनांक: 17-SEP-2025 वैधता दिनांक: 16-SEP-2027

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: SHRI RATAN SINGH BOYS COLLEGE KUMHER DEEG
आवेदक का पता: ADHAIYA ROAD

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन SHRI RATAN SINGH BOYS COLLEGE KUMHER DEEG, 01, ADHAIYA ROAD, ADHAIYA ROAD, KUMHER, DEEG, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्त:-

- सम्पूर्ण स्थल की अनापत्ति ली जानी अनिवार्य होगी तथा उक्त अनापत्ति का नवीनीकरण करवाया जाना आवश्यक होगा अन्यथा अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।
- भवन के समस्त स्टाफ व सिक्वोरिटी गार्ड्स को कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
- अग्निशमन उपकरणों को समयावधि में रीफिल कराना होगा।
- यदि राज्य सरकार या परिषद द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
- भवन का अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाए जाने के स्थिति में यह अभिशंषा पत्र निरस्त माना जाएगा।
- पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
- फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
- फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एम सी करवायी जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
- यह अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
- भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस बावत् आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
- निरीक्षण के दौरान दिए निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
- रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी टावर में टावर की ऊंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
- यह अनापत्ति प्रमाण पत्र रूफ टॉफ रेस्टोरेट के लिए मान्य नहीं है जिस भाग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है। वह पर रूफ टॉफ रेस्टोरेट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
- यह अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के अधीन रहेगी। शपथ पत्र के अनुसार व्यवस्था नहीं पाए जाने पर निरस्त मानी जाएगी।



अग्निशमन अधिकारी
नगर पालिका, कुम्हेर